न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 15/2010 (रेफरेंस)
पंजीयन दिनांक 08.06.210

सरकार जरिये भूमिधारी (तहसीलदार) चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री मांग्या पिता गोविन्दा कीर सा. भोई खेड़ा, चित्तौड़गढ़
मृत्तक के बजाएः–
1/1–श्री गोकल पिता मांग्या कीर सा. भोई खेड़ा, चित्तौड़गढ़
1/2–श्री भागा पिता मांग्या कीर सा. भोई खेड़ा, चित्तौड़गढ़
1/3–श्री एकलिंग पिता मांग्या कीर सा. भोई खेड़ा, चित्तौड़गढ़
1/4–श्रीमति फूली पुत्री मांग्या पत्नि खेमा कीर सा. करणी माता का खेड़ा, चित्तौड़गढ़
1/5–श्रीमति गीता पुत्री मांग्या पत्नि मांगु कीर सा. कीर खेड़ा
1/6–श्रीमति जानी पुत्री मांग्या पत्नि भैरू कीर सा. कीर खेड़ा
1/7–श्रीमति कमली पुत्री मांग्या पत्नि बंशी कीर सा. कीर खेड़ा

–विपक्षीगण

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्यवाहीः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 आर. टी. ए. 1955

उपस्थितिः– 1– श्री मनोहर लाल दक, राजकीय अभिभाषक

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 15/2010 (रेफरेंस)

सरकार जरिये भूमिधारी (तहसीलदार) चित्तौड़गढ़ बनाम श्री मांग्या पिता गोविन्दा कीर सा. भोई खेडा मृत्तक के बजाएः-श्री गोकल पिता मांग्या कीर सा. भोई खेड़ा वगैरा

निर्णय

दिनांक 06.08.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भूमिधारी (तहसीलदार) चित्तौड़गढ़ ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 166 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा किस्म नाला होकर बिलानाम मेवाड़ बन्दोबस्त में दर्ज थी। सम्वत् 2009 से 2012 से पूर्व भी आराजी नम्बर 166 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा किस्म नाला दर्ज थी। इस भूमि के नवीन आराजी नम्बर 706 रकबा 0.08 है. बने जो विपक्षीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 श्री अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 के निर्देशानुसार 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत रखने हेतु ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 706 रकबा 0.08 है. को किस्म नाला बिलानाम दर्ज की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर उसके वारिसान को रेकॉर्ड पर लिया जाकर उन्हें सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ बन्दोबस्त की आराजी

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नम्बर 166 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि किस्म नाला बिलानाम दर्ज थी। उक्त भूमि की किस्म नाला होने से इसे किसी भी व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं की जा सकती थी। जमाबन्दी सम्वत् 2009 से 2012 में उक्त भूमि में से आराजी नम्बर 166/7 रकबा 14 बिस्वा भूमि किस्म नाला बिना किसी आदेश के श्री मांग्या पिता गोविन्दा कीर सा. भोई खेड़ा के नाम अंकित कर दी गई। इसी गत आराजी के नवीन आराजी नम्बर 706 रकबा 0.08 है. किस्म बीड़ बने जो विपक्षीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि की किस्म नाला से बीड प्रथम सेटलमेन्ट के दौरान दर्ज कर दी गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 के निर्देशानुसार 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकर्ड की स्थिति को यथावत रखने हेतु ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 706 रकबा 0.08 है. का पुनः पूर्व अंकन अनुसार रेकार्ड में किस्म नाला दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत भूमि विपक्षीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है जो विधि-विपरीत होने से उक्त अंकन निरस्त योग्य है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख अनुसार ग्राम चित्तौड़गढ़ की गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 166 किस्म नाला होने से इसे किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता था। इस भूमि के गत बन्दोबस्त के आराजी नम्बर 166/7 रकबा 14 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 706 रकबा 0.08 है. बने हैं जो वर्तमान में विपक्षीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 15/2010 (रेफरेंस)

सरकार जरिये भूमिधारी (तहसीलदार) चित्तौड़गढ़ बनाम श्री मांग्या पिता गोविन्दा कीर सा. भोई खेडा मृत्तक के बजाएः-श्री गोकल पिता मांग्या कीर सा. भोई खेड़ा वगैरा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार ऐसी भूमियां आवंटन योग्य नहीं है और इनमे खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही होते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश 02.08.2004 मे ऐसी भूमियों के संबंध में समुचित कार्यवाही कर दिनांक 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत रखने के निर्देशों के तहत उपरोक्त आराजी को पुनः पूर्व अंकन अनुसार रेकर्ड में किस्म नाला दर्ज किया जाना आवश्यक होने से प्रकरण रेफरेन्स योग्य है।

अतः भूमिधारी (तहसीलदार) चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है उपरोक्त भूमि को पुनः किस्म नाला दर्ज कराने हेतु माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official